कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)
जिला न्यायालय परिसर, रायपुर

दूरभाष क्रमांक 0771–2425944 **फैक्स दूरभाष क्रमांक 0771–2420077**

E-mail : dlsa. raipur@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक 335/जि.वि.से.प्रा. (LADCS)/2023 रायपुर दिनांक 06/10/2023

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	**09.10.2023 प्रातः 11:00 बजे से**
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**25.10.2023 संध्या 05:00 बजे तक**

कार्यालय, –जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में रखे ड्राप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डालकर प्रस्तुत करें। (अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा–निर्देश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) के अंतर्गत कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौसिंल सिस्टम हेतु सहायक/कलर्क, रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु आर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र0	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				समान्य			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0
1	कार्यालय सहायक/कलर्क	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
योग–		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

टीपः–क. परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ0ग0) के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्त

(1) कार्यालय सहायक/कलर्क पद के लिये–

अ– वेतन क्लास– A :– संविदा एकमुश्त 20,000/– रूपये मासिक

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational Qualification : Graduation).
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्युटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data).
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टायपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good typing speed with proper setting of petition). किसी विश्वविद्याालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA), प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
4. श्रुतिलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिये फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts). छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये। (File maintenance and processing knowledge).

(2) रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट) पद के लिये–

अ– वेतन क्लास–A :– संविदा एकमुश्त 17,000/– रूपये मासिक

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational Qualification : Graduation).
2. उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होना चाहिये। (Excellent verbal and written communication skills).
3. शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमताएं होनी चाहिये। (Word and data processing abilities).
4. दूरसंचार प्रणालियों (टेलीफोन, फैक्स, मशीनें, स्वीचबोर्ड आदि) पर काम करने की क्षमता होनी चाहिये। (The ability to work tele-communication systems (telephones, fax, machines, switch boards etc.).
5. कम्प्यूटर में अच्छी टायपिंग स्पीड की दक्षता होनी आवश्यक है। (Proficiency with good typing speed). किसी विश्वविद्याालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA), प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(3) कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये–

अ– वेतन क्लास– A :– संविदा एकमुश्त 12,000/– रूपये मासिक

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण हो। (Educational Qualification : Pass 5th Standard). (5th (पांचवीं कक्षा), 12th (बारहवीं कक्षा) से अधिक योग्यातधारी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
1- Good Character. 2- Mentally and Physically fit. 3- Dutiful and Obedient.

टीपः— ड्राईव्हर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लबंर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होनें अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। प्रमाण—पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

2. आयु एवं पात्रता

(कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट—सह—डेटा एंट्री ऑपरेटर (टायपिस्ट), एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)

(1) रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(अ)— कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(ब)— कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।

(3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः—

3(एक)(1)— यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(एक)(2)— छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3(एक)(3)— ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की

तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3(एक)(4)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

3(एक)(5)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक)(6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक)(7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(एक)(8)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3(एक)(9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक)(10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो)(1)– आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेंट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो)(2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप–(1)– बिन्दु क्रमांक–3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)– बिन्दु क्रमांक–3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>उदाहरण:–</u> यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतत आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 25.10.2023 की संध्या 05:00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को **कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय परिसर, रायपुर (छ0ग0),** में रखे **ड्रॉप बॉक्स** पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 25.10.2023 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया
कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) एवं
रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) (संविदा) के पद हेतु :–

प्रथम चरण : स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये जारी पदों के 30 (तीस) गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंको की प्रावीण्यता (मेरिट) पर जारी की जायेगी। स्नातक के अंको के आधार पर सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार
कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद हेतु :–

उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार 20 अंकों की होगी, इस प्रकार कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा उपरांत समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 2.50 मिनट का हिन्दी श्रुतिलेख दिया जायेगा, जिससे परीक्षा में निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा। टंकण हेतु फोंटसाईज–14, लाईन–स्पेसिंग 1.5 तथा मार्जिन (टॉप 9.0 सेमी एवं राईट/लेफ्ट/बॉटम 3.0 से0मी0) निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा Ubuntu

(18.04 या अधिक) आपरेटिंग सिस्टम में Libre Office में लिया जायेगा। यूनिकोड हिन्दी (वेदमाता) फोंट का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थियों को नियत 20 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकण करना होगा। टंकण हेतु निर्धारित फोंट व स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी आधा अंक काटा जायेगा। 50 से अधिक अशुद्धि/गलतियां होने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य माना जायेगा।

रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) (संविदा) के पद हेतु :–

उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार 20 अंकों की होगी, इस प्रकार कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा उपरांत समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। कौशल परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवार को 250 शब्द के दिये गये एक हिन्दी गद्यांश को लगभग 10 मिनट की समय–सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टंकित करना होगा। टंकण हेतु फोंटसाईज–14, लाईन–स्पेसिंग 1.5 तथा मार्जिन (टॉप 9.0 सेमी एवं राईट/लेफ्ट/बॉटम 3.0 से0मी0) निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा Ubuntu (18.04 या अधिक) आपरेटिंग सिस्टम में Libre Office में लिया जायेगा। यूनिकोड हिन्दी (वेदमाता) फोंट का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थियों को नियत 10 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकण करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। टंकण हेतु निर्धारित फोंट व स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी आधा अंक काटा जायेगा। 50 से अधिक अशुद्धि/गलतियां होने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य माना जायेगा।

मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया

कौशल/दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी के स्नातक में भी समान अंक होने पर कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के (संविदा) पद हेतु :–

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये रिक्त पदों के 30 (तीस) गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पाँचवी के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

कौशल परीक्षा 50 अंको की होगी। कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी, वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा। साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। उक्त पद के लिये प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा।

टीप :– यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कथा 5वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

''परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।''

–: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–

कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा हेतु में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की वर्गवार मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी। तत्पश्चात् उक्त मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची को गोपनीय बंद लिफाफे में अनुमोदन हेतु छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0) प्रेषित किया जावेगा। छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0) से अनुमोदन उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/rajnandgaon में अपलोड की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है, या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पर को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर स्नातक/पांचवीं में प्राप्त अंक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ0ग0) का होगा।

चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसके किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। शासकीय चिकित्सालय, रायपुर (छ0ग0) के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण–पत्र प्राप्त पत्र करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुति तिथि को वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता **विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।**

7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

(A) नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ0ग0) को होगा।

(B) उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

(C) प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट https://raipur.dcourts.gov.in में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(D) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(E) कार्यालय सहायक एवं रिषनिस्ट–सह डाटा ऑपरेटर के आवेदन पत्र की छटनी उपरान्त रिक्त एक के विरूद्ध 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय रायपुर के वेब साईड में अपलोड की जावेगी यदि किसी आवेदक को उक्त सूची में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति 7 दिवस के भीतर जिला न्यायालय के ए.डी.आर. बिल्डिंग में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकेगा। 7 दिवस के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर उस पर किसी भी दशा में विचार नही किया जावेगा।

नोट :– पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।**

(F) प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी प्रदान की जायेगी।

आदेशानुसार

अतुल कुमार श्रीवास्तव
अध्यक्ष, परीक्षा सेल
राययपुर

स्थानः– रायपुर
दिनांकः– 06.10.2023

कार्यालय सहायक /क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) (संविदा) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु

नवीतम पासपोर्ट फोटो चस्पा कर स्वयं प्रमाणित करे।

प्रति,

कार्यालय, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर,
जिला–रायपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स मे) :– ....
3. लिंग (संकेतांक) पुरूष 1, महिला 2, अन्य 3
4. पिता/पति का नाम :– ....
5.(अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :– ....
स्थायी पता :– ....
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) :– ....

शब्दों में :– ....

(ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु माह दिन

7. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है ?
हां/नहीं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8- अ. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

9. रोजगार कार्यालय का जीवत पंजीयन :– ....
10. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....
11. क्या आप विवाहित है ? हॉ/नही :– ....
12. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :– ....
13. जीवित बच्चों की संख्या :– ....
14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :– ....

(प्रमाण–पत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15- क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

16- क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया गया हो तो उसका विवरण– :– ....

17. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर (in English Letters) :– ....

18. स्व–प्रमाणित संलग्न प्रामाण–पत्रों की सूची :–
टीप–प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

	प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नही।
1.	हाई स्कूल प्रमाण–पत्र	....
2.	हायर सेकेण्डरी प्रमाण–पत्र	....
3.	स्नातक प्रमाण–पत्र	....
4.	कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र	....
5.	शीघ्रलेखन संबंधी प्रमाण–पत्र	....
6.	छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण–पत्र	....
7.	छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र	....
8.	जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण–पत्र	....
9.	अन्य :–	

//घोषणा–पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूॅ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूॅ। मुझे जानकारी है कि, इसमें दी गयी कोई भी जानकारी सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान – ....

दिनांक– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)

नाम :– ....

पता :– ....

....

....

मोबाईल नं. :– ....

ई–मेल –...

(मोबाईल नं. एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)

<u>कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) (संविदा) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु</u>

नवीतम पासपोर्ट फोटो चस्पा कर स्वयं प्रमाणित करे।

प्रति,

कार्यालय, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर,
जिला–रायपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स मे) :– ....
3. लिंग (संकेतांक) पुरूष 1, महिला 2, अन्य 3
4. पिता/पति का नाम :– ....
5.(अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :– ....
स्थायी पता :– ....
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक ही है तो सदैव लिखे) :–

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) :– ....
शब्दों में :– ....
(ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु माह दिन
7. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है ?
हां/नहीं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8- अ. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

9. रोजगार कार्यालय का जीवत पंजीयन :– ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....

11. क्या आप विवाहित है ? हॉ/नही :– ....

12. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :– ....

13. जीवित बच्चों की संख्या :– ....

14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :– ....

(प्रमाण–पत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15- क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था
मे सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति
प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

16- क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण :–
....
न्यायालय में लम्बित हो या उसे ....
किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि ....
किया गया हो तो उसका विवरण– ....

17. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर :– ....
(in English Letters)

18. स्व–प्रमाणित संलग्न प्रामाण–पत्रों की सूची :–
टीप–प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण–पत्र का नाम		संलग्न है/संलग्न नही।
1.	5 वी अंकसूची प्रमाण पत्र	....
2.	अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	....
3.	छ0ग0 का मूल निवासी प्रमाण पत्र	....
4.	छ0ग0 का स्थायी प्रमाण पत्र	....
5.	जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	....
6.	अन्यः–	....

//घोषणा–पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हॅू कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/रखती हॅू। मुझे जानकारी है कि, इसमें दी गयी कोई भी जानकारी सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान – ....

दिनांक– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नाम :– ....

पता :– ....

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

–

दूरभाष कमांक 0771–2425944 फैक्स दूरभाष कमांक 0771–2420077

E-mail : dlsa. raipur@gmail.com

:– प्रवेश पत्र –:

कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट–सह–डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुशी/अटेन्डेंट) (संविदा) कर्मचारियेां के पद पर नियुक्ति हेतु।

नवीतम पासपोर्ट फोटो चस्पा कर स्वयं प्रमाणित करे।

आवेदक का पंजीयन क्रमांक
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक

आवेदित पद का नाम :– ....

अभ्यर्थी का नाम :– ....
पिता/पति का नाम :– ....
वर्ग :– ....
परीक्षा तिथि :– ....
समय :– ....
परीक्षा केन्द :– ....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–रायपुर (छ0ग0)

............02........

–

<u>परीक्षार्थी के लिए अनुदेश :–</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश–पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश–पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के बेबसाइट से प्राप्त करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र,कागजात, चीट, पुस्तक, पेपर, कैलकुलेटर, मोबाईल ,लॉग टेबल, ब्लूटूथ आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा। जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश–पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे।
5. परीक्षार्थी प्रवेश–पत्र में हस्ताक्षर परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।